UPMO010057112024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस 0 सी0/एस 0 टी0) एक्ट, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी- (संदीप गुप्ता-द्वितीय), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP02636

दाण्डिक विविध वाद सं0–437 / 2024

माया देवी उम्र लगभग 50 वर्ष पत्नी स्व0 राम सिंह, निवासी– मिलक तारा, थाना– मैनाठेर, जिला– मुरादाबाद, हाल निवासी– शाहपुर तिगरी, थाना– मझोला, जिला– मुरादाबाद।

.....प्रार्थिनी

बनाम

1– देवनाथ गुप्ता उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र द्विजेन्द्र नाथ गुप्ता

2– विरासत गुप्ता उम्र लगभग 30 वर्ष देवनाथ गुप्ता,
निवासीगण 139 बुद्धि विहार, थाना मझोला, जिला– मुरादाबाद ।

3–सूरज उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र जयपाल, निवासी– बुद्धि विहार, थाना– मझोला, जिला– मुरादाबाद।

4–रागिनी उम्र लगभग 38 वर्ष पत्नी मान सिंह, निवासी– काशीराम नगर, थाना– मझोला, जिला–मुरादाबाद।

.....विपक्षीगण

29–11–2024

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थिनी माया देवी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर कहा गया है कि, दिनांक 30.04.2024 समय करीब 2 बजे दोपहर को लंच के बाद फर्म के मालिक देवनाथ गुप्ता जी ने प्रार्थिनी को केबिन में सफाई करने के लिए बुलाया, जब प्रार्थिनी सफाई करने केबिन में गई, तो देवनाथ गुप्ता ने प्रार्थिनी को पीछे से बुरी नीयत से दबोच लिया और अश्लील हरकते करने लगा, प्रार्थिनी द्वारा विरोध करने पर प्रार्थिनी के साथ जबरदस्ती करने लगा। जब प्रार्थिनी ने केबिन का दरवाजा खोलकर भागना चाहा, तो पहले से मौजूद सूरज ने प्रार्थिनी को धक्का देकर बाहर से दरवाजा बन्द कर दिया। प्रार्थिनी के शोर मचाने पर वहाँ काम करने वाली रागिनी भी आ गई और प्रार्थिनी से कहने लगी, पागल मत बन मालिक जैसे कहते हैं वैसे कर तो तू पैसों में खेलेगी। प्रार्थिनी ने जब इन लोगों की बातें नहीं मानी, तो देवनाथ गुप्ता प्रार्थिनी को गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए, जातिसूचक शब्दों में कहने लगा, इन साले चमारों को इज्जत रास नहीं आती, तू इसके हाथ पकड़ आज मैं इसे सबक सिखाकर रहूँगा। प्रार्थिनी के शोर मचाने पर देवनाथ गुप्ता का लडका विरासत गुप्ता वहाँ आ गया और प्रार्थिनी ने इस घटना की बावत बताया तो उसने आग बबूला होकर प्रार्थिनी को धक्का देकर गिरा दिया। उक्त घटना

से प्रार्थिनी को गुम व खुली चोटें आयी व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गन्दी–गन्दी गालियां बकने लगा और चारों लोगों ने धक्के मारकर फर्म के गेट से बाहर निकाल दिया। प्रार्थिनी ने अपने फोन नम्बर 8800760953 से 112 नम्बर पर कॉल करके उक्त घटना की सूचना दी तब कुछ समय बाद 112 नम्बर की गाड़ी वहां आ गई। उन्होंने भी उक्त देवनाथ गुप्ता से हमसाज होकर कोई कार्यवाही नहीं की। चारों आरोपियों द्वारा प्रार्थिनी की धमकी दी जा रही है कि तूने पुलिस को बुलाकर हमारा क्या करा दिया, हम पैसे वाले लोग है तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रार्थिनी उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना मझौला गयी, लेकिन वहां भी प्रार्थिनी की कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थिनी ने दिनांक–01.05.2024 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा श्रीमान जी के यहां प्रार्थना पत्र भेजा था, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी, प्रार्थिनी स्वयं पेश होकर दिनांक– 13.05.2024 में प्रार्थना पत्र दिया, उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनाकं– 17. 05.2024 को चौकी प्रभारी शाहपुर तिगरी ने प्रार्थिनी को फोन करके बुलाया तो वहां देवनाथ गुप्ता, रागिनी, सूरज व विरासत व अन्य लोग चौकी में आ गये, प्रार्थिनी के बयान दर्ज करने के बजाये सभी लोग प्रार्थिनी को भला–बुरा कहने लगे व उक्त रागिनी ने प्रार्थिनी के हाथ की कलाई मरोड़ दी, जिससे प्रार्थिनी के हाथ की चूड़ी प्रार्थिनी के हाथ में घुस गयी, उक्त थाना–चौकी प्रभारी बैठे–बैठे तमाशा देखते रहे व उक्त मुल्जिमानों से कुछ नहीं कहा, उल्टा झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देते हुए चौकी से भगा दिया। प्रार्थिनी द्वारा उसी दिन दिनांक–17.05.2024 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर सारी घटना के बारे में बताया तब श्रीमान जी द्वारा प्रार्थिनी की जाँच क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन् के यहाँ ट्रान्सफर कर दी और कहा कि अब तुम्हें थाना मझोला व शाहपुर चौकी नहीं जाना है। तुम्हे सी0ओ0 सिविल लाइन के यहाँ से फोन आयेगा वहां बयान दर्ज करवाने के बाद आज तक अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रार्थिनी द्वारा दिनांक– 06.06.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर प्रार्थना पत्र दिया, जिसका आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर संदर्भ संख्या 20013524005923 है जिसकी जाँच क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन द्वारा की गई है जाँच में न तो सीसीटीवी फुटेज दिनांक–30.04.2024 देखी गई न ही प्रार्थिनी की पीड़ा को समझा उल्टे आरोपी के मजदूरों के बयान व मनगढ़त कहानी पर विश्वास कर अपनी रिपोर्ट दी गई है। आरोपियों द्वारा प्रार्थिनी को धमकी दी जा रही है कि यदि तूने अब कोई शिकायत की तो तुझे और तेरे बेटे राजू को झूठे मुकदमें में जेल भिजवा देंगे प्रार्थिनी एक विधवा व गरीब महिला है, न्याय हेतु श्रीमान जी की शरण में आई है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थाना मझौला, मुरादाबाद को आदेशित किये जाने कि रिपोर्ट दर्ज करके अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र छायाप्रति, मायके की जाति सत्यापन रिपोर्ट की छायाप्रति, थाना आख्या की मूल प्रति आदि प्रस्तुत की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में थाना–मझौला , जिला–मुरादाबाद से आख्या आहूत की गयी। थाना–मझौला, जिला–मुरादाबाद की आख्या के अनुसार थाना पर कोई अभियोग

पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आवेदिका/वादनी ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह कहा है कि वह देवनाथ गुप्ता की फर्म में पांच वर्ष से पैंकिग का कार्य कर रही थी। आवेदिका/वादनी ने घटना दिनांक 30–4–2024 को समय करीब 2 बजे दोपहर को लंच के बाद का होना बताया है और अपने प्रार्थना–पत्र में यह भी उल्लिखित किया है कि सारी घटना घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज में रिकार्ड है। दिनांक 24–10–2024 को सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि वह सीसीटीवी फुटेज की रिकार्डिंग क्लिप न्यायालय के समक्ष पेश करें। उपनिरीक्षक थाना मझौला ने सीसीटीवी के सम्बन्ध में अपनी आख्या न्यायालय के समक्ष पेश की, जिस आख्या के अन्तर्गत यह उल्लिखित है कि उक्त उपनिरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर जांच की गयी तो घटनास्थल से कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं हो सकी।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आया है कि विपक्षी संख्या–1 देवनाथ गुप्ता ने आवेदिका/वादनी से कहा कि कार्यस्थल पर झगड़ा करती रहती हो, इसलिये अब यहां काम करने मत आना। प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिकथनों से यह प्रतीत होता है कि अन्य किसी विवाद को आपराधिक स्वरूप दिये जाने के आशय से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका/वादनी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. दबाव बनाने के उददेश्य से दायर किया है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित घटना का सीसीटीवी में रिकार्ड होना कहा है जब कि उपनिरीक्षक थाना मझौला ने जब मौके पर जाकर जांच की तो उपर्युक्त घटना की कोई सीसीटीवी फुटेज मौके से उपलब्ध नहीं हो सकी, जिस कारण विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई भी संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदिका/वादनी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/वादनी श्रीमती माया देवी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–29.11.2024

(सन्दीप गुप्ता–द्वितीय)
विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट,
मुरादाबाद।

Digitally signed by Sandeep Gupta
Date: 2024.11.29 17:03:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court